प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनाक 26.04.2024

25,000/-रू0 का इनामिया वांछित अभियुक्त/ गैंगस्टर गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी के हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना कैण्ट के नेतृत्व में थाना खोराबार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 740/2018 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 से सम्बन्धित 25,000/रु0 का इनामिया वांछित अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी सिकरौदा थाना जौरा तहसील जौरा जिला मुरैना मध्यप्रदेश हा0मु0 आजाद नगर वार्ड नं0- 1 म0नं0- 48 थाना शहर बल्लभगढ़, फरीदाबाद हरियाणा को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20/06/2018 को अभियुक्त महेन्द्र सिंह उपरोक्त अपने साथियों के साथ मिलकर एक 10 चक्का ट्रक व स्वीफ्ट डिजायर कार में शराब की तस्करी हेतु 885 पेटी देशी अवैध शराब ले जाया जा रहा था, जिसे स्वाट टीम गोरखपुर व थाना खोराबार पुलिस द्वारा रामनगर करजहाँ से पकड़ा गया था। अभियुक्तों द्वारा एक गिरोह बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। इस गिरोह पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 6/9/2018 को थाना खोराबार पर मु0अ0सं0 740/2018 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

महेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी सिकरौदा थाना जौरा तहसील जौरा जिला मुरैना मध्यप्रदेश हा0मु0 आजाद नगर वार्ड नं0- 1 म0नं0- 48 थाना शहर बल्लभगढ़, फरीदाबाद हरियाणा

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 740/2018 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 525/2018 धारा 307 भादवि थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 526/2018 धारा 419,420,467,468,471, 62/63/72 आबकारी अधिनियम थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 527/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक कुमार सिंह चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 यू0टी शशिरंजन थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 पप्पू राम थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर